

नधि कंपनियों पर नयामक कार्यवाही में वृद्धि

स्रोत: लाइव मटि

- वर्ष 2024 में, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) और **कंपनी रजिस्ट्रार (RoC)** ने **नधि कंपनियों** तथा **लाभकारी स्वामित्व प्रकटीकरण** में **वफिल रहने वाली फर्मों** के खिलाफ **कार्यवाही तेज़** कर दी है।
- ऐसा वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चिती करने, गैर-बैंकगि क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने तथा कॉर्पोरेट प्रशासन को मज़बूत करने के लिये कथिया गया।
- कंपनी रजिस्ट्रार ने नधियों के वरिद्ध 131 आदेश जारी कथि, जो **वर्ष 2023 से 72% अधिक** है, जसिमें 10,000 रुपए से 30 लाख रुपए तक का जुर्माना शामिल है।
- **लाभकारी स्वामित्व** से तात्पर्य उन व्यक्तियों से है जो **अंततः किसी कंपनी के मालकि होते हैं या उस पर नियंत्रण रखते हैं**, भले ही शेयर किसी अन्य व्यक्ती के नाम पर हों।
 - **कंपनी अधिनियम, 2013** के तहत, कंपनियों को उन व्यक्तियों की पहचान का प्रकटन करना होगा जनिके पासमहत्त्वपूर्ण नियंत्रण है या जो **25% या उससे अधिक शेयरों के मालकि** हैं।
- नधि कंपनियों **गैर-बैंकगि वित्तीय कंपनियों (NBFC)** हैं जो **कंपनी अधिनियम, 2013** की धारा 406 के तहत संचालति हैं।
 - ये कंपनियों **बचत को प्रोत्साहति** करने तथा वशिष रूप से अपने **सदस्यों को ऋण उपलब्ध कराने** के लिये बनाई गई हैं।
 - नधियों को **RBI लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है**, लेकिन उन्हें सख्त प्रकटीकरण और परधालन मानदंडों का पालन करना होगा।
 - वे **पबलकि लिमिटेड कंपनियों** के रूप में पंजीकृत हैं और उनके नाम में **"नधि लिमिटेड"** शामिल है।
 - उन्हें एक वर्ष के भीतर न्यूनतम **200 सदस्य** और **20 लाख रुपए की शुद्ध स्वामित्व नधि** बनाए रखनी होगी।

और पढ़ें: [नधि कंपनियों](#)